

  
**जिला गजट**  
 सत्यमेव जयते

**झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित**

समाहर्ता द्वारा निकाले गये भू-अर्जन संबंधी अधिसूचनाएँ, अधिघोषणाएँ एवं स्थानीय सूचनाएँ

साधारण

अंक संख्या- 89

बोकारो मंगलवार

25.06.2019

1. अधिसूचनाएँ	.....	.....	1-2
2. भू-अर्जन संबंधी अधिघोषणाएँ	.....	.....	.....
3. स्थानीय सूचनाएँ आदि	.....	.....	.....

**प्रपत्र VI 'क'**

झारखण्ड सरकार

समाहर्ता या समुचित सरकार

प्रारंभिक अधिसूचना

(अधिनियम-30/2013 की धारा-11 (1) के अधीन)

पत्रांक : 765/भू0अ0

दिनांक : 29.08.2018

चूंकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम ....तेतुलिया... थाना ....चास .... थाना सं0 ..... 38... अंचल .... चास... जिला ....बोकारो.... में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना ... झारखण्ड सशस्त्र पुलिस - 4, बोकारो, फायरिंग बट्ट .... हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2 (1) (ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम ....तेतुलिया... थाना ....चास .... थाना सं0 ..... 38... अंचल ....चास... जिला ....बोकारो.... में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश ....2.9800.... एकड़ यानि ....1.2064... हेक्टेयर मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है .....

क्रम सं०	खाता सं०	सर्वे प्लॉट सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	16	489	नीज	कृषि	2.0500	मुचीराम मांझी पिता बलराम मांझी वो कार्तिक मांझी वगैरह पिता धनेश्वर मांझी	489 अंश	483	842 493	483

2	16	318	नीज	कृषि	0.9300	मुचीराम मांझी पिता बलराम मांझी वो कार्तिक मांझी वगैरह पिता धनेश्वर मांझी	489 अंश	483	842 493	483
<b>कुल रकवा</b>					<b>2.9800</b>					

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की परियोजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी .....बोकारो..... के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सके। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी .....बोकारो..... और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60) दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियां हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी .....बोकारो..... के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

ह0—  
समाहर्ता,  
बोकारो।